

फंद अहकाम

(नियम 26)

सज अदालत

वातिरवत जिला कलेक्टर
दोंड

रामलक्ष्मण कर्तो





वनाम अजदीश आदि

किस्म मुकदमा

घा-पत्र विविध
(ख्या. घा. पत्र)

नं. 42

सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही नय इनिशियट्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/7/15	<p>अभिभाषक प्राची ने उपस्थित होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया। दर्ज रजिस्ट्र कर घा. पत्र में अंकित विन्दुओं पर घा.पत्र की प्रति उपरान्त अधिकारी मालपुरा को भिजवाते हुए पेरवाइन टिप्पणी तालब कर पत्रावली दि 23/7/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  वातिरवत जिला कलेक्टर दोंड </p>	<p>281 13/7/15</p>
22/7/15	<p>अभिभाषक प्राची उपस्थित। उपरान्त अधिकारी मालपुरा से कौण्डि टिप्पणी जाफ नही हुई है। वइतजा टिप्पणी पत्रावली दिनांक 6/8/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  वातिरवत जिला कलेक्टर दोंड </p>	
6/8/15	<p>अभिभाषक प्राची उपस्थित। पत्रा. का पद रिक्त है। प्रवर्तुपत्र पत्रावली दिनांक 17/8/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  वातिरवत जिला कलेक्टर दोंड </p>	<p>31 टिप्पणी जाफ हो चुकी है</p>
17/9/15	<p>अभिभाषक प्राची उपस्थित। उपरान्त अधिकारी मालपुरा से टिप्पणी जाफ हो चुकी है। प्रतिपक्षी जो 5 व 6 की ओर से श्री रीणारक भिजवाते हैं ने ककालतनामा पेश किया। पत्रा. का पद रिक्त है। काले बरत पत्रावली दिनांक 30/9/15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  वातिरवत जिला कलेक्टर दोंड </p>	

5-2-16

अग्निशमक उभयपक्ष उपर। प्रतिपक्षीयों के नोटिफिकेशन बरत तामील शामिल फावली हैं। वारि अग्निशमक कार्यवाही फावली दिनांक 11-3-16 को पेश हो।

जातिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

11-3-16

पत्रावली पेश हुई। अग्निशमक उभयपक्ष उपर। हल हल स्वामिका पत्रावली दिनांक 21-4-16 को पेश हो।

जातिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

21-4-16

पत्रावली पेश हुई। अग्निशमक उभयपक्ष उपर। प्रवनिमुर पत्रावली दिनांक 29-4-16 को पेश हो।

जातिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

29-4-16

पत्रावली पेश हुई। अग्निशमक उभयपक्ष उपर। हल हल स्वामिका पत्रावली दिनांक 12-5-16 को पेश हो।

जातिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब

12/5/16

अग्निशमक उभयपक्ष उपर। उभयपक्ष दिनांक 10-7-15 को कार्यवाही उपरवण अधिकारी मालपुरा से न्याय न मिलने की उम्मीद से वही जेकर उभयपक्ष सं० 152/13 उनवानी रामस्वरुप बनाम जगदीश उपर अग्निशमक मालपुरा से अन्न डिली सहाय न्यायालय में स्वामिकरण किये जाते हेतु आदेश हुआ है। कसब सुनी गई। तत्कालीन उपरवण अधिकारी मालपुरा जिनसे परकार को (जाचरीगण) के संभावित न्याय की उम्मीद नहीं थी वह अब वहाँ परदास्थापित नहीं है। अग्नि, जाचरीगण ने प्राथमिक जाचरीगण खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अतः अब यह जाचरीगण चलाने वाले का कोई अंतर्लक्ष नहीं होने व जाचरीगण चलाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। जजल शुभा के लक्ष होकर न्याय ले का हो।

जातिरिक्त जिला कलेक्टर
दोंब